कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस विज्ञप्ति

दि0- 10/09/2024

विषय:-साइबर सेल द्वारा आनलाईन धोखाधड़ी के पीड़ित की सम्पूर्ण धनराशि रूपये 79231/- वापस कराई गयी।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के कुशल निर्देशन व पुलिस उपायुक्त मु0 एवं अपराध के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त अपराध व सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व में अपराध शाखा कमिश्नरेट वाराणसी की साइबर अपराध सेल द्वारा साइबर अपराधियों पर लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में, तत्काल कार्यवाही करते हुए आनलाइन धोखाधड़ी के शिकार बड़ागाँव निवासी अरविंद कुमार सिंह पुत्र स्व0 रमाशंकर सिंह का संपूर्ण फ्रॉड धनराशि **79231.00 रूपये** बचाया गया।

घटना का विवरण:- दिनांक 06 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे शिकायतकर्ता के द्वारा साइबर सेल में अपने साथ हुए साइबर फ्राड की शिकायत दर्ज करायी गयी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उनको एसबीआई क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर का कॉल आया और क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के संबंध में बताया गया तो शिकायतकर्ता द्वारा अपने कार्ड को बंद कराने की बात कही गयी, तत्पश्चात कस्टमर केयर द्वारा एक लिंक भेजा गया और अपने कार्ड का विवरण (कार्ड नं0, सीवीवी, जन्म तिथि व नाम आदि) भरने के लिये कहा गया, जिसे वास्तविक कस्टमर केयर नम्बर समझकर उसके झांसे में आ गया व फ्रॉड का शिकार हो गया।

जिसके उपरान्त साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विभिन्न मर्चेंट/बैंक से लगातार व प्रभावी पत्राचार/वार्ता किया गया। जिसके फलस्वरूप वादी के साथ हुए धोखाधड़ी की संपूर्ण फ्रॉड धनराशि **79231.00 रूपये** को बचा लिया गया। जिसकी शिकायतकर्ता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा धन्यवाद पत्र दिया गया।

साइबर फ्राड से बचाव -

1. बैंक सम्बन्धित संवेदिशील जानकारी जैसे कि ओटीपी, पिन, सीवीवी आदि किसी के साथ साझा न करें।
2. क्रेडिट कार्ड एक्टीवेशन / ब्लॉक / केवाईसी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को बैंक सम्बन्धित संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराने से बचें।
3. अपने मोबाइल फोन में किसी के कहने पर स्क्रीन-शेयरिंग ऐप जैसे कि AnyDesk, Quick Support, TeamViewer आदि इंश्टाल न करें। किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।
4. गूगल सर्च पर कस्टमर केयर के नाम से उपलब्ध नम्बरों पर बिना जाँचे-परखे विश्वास न करें।
5. लोन केवल विश्वसनीय बैंक / आर्थिक संस्थान आदि से ही प्राप्त करें।
6. OLX/Quikr/Facebook (Meta) आदि वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्रियों का भुगतान बिना भौतिक सत्यापन व सघन जाँच के न करें।

नोट- साइबर फ्राड होने पर तत्काल 1930 पर कॉल कर या www.cybercrime.gov.in पर या अपने नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क या साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराएँ।

पुलिस उपायुक्त, अपराध
कमिश्नरेट वाराणसी।